संख्या-आई0टी0-नोटिस एवं कर निर्धारण माड्यूल /डीलर्स मार्किंग/2016-2017 218 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाक :: ~~मई~~ 20-06-,2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0 113 दिनाक 13-05-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो डीलर्स मार्किंग के सम्बन्ध में है। उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-28 के अन्तर्गत 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम के व्यापारियों का कर निर्धारण कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा कर निर्धारण हेतु चयन के पश्चात किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रु0 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग की जानी थी। मुख्यालय स्तर पर जोन वार समीक्षा में वर्ष 2013-2014 की टर्न आवेर मार्किंग की स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

Marking Assessment Report (Zone Wise) for Assessment Year 2013-2014

Zone	Total Dealers T.O.for Making	T.O. Marking	T.O. Unmarking
1	2	3	4
Agra	25827	25826	1
Bareilly	31137	27372	3765
Allahabad	33361	33250	111
Gorakhpur	47756	39376	8380
Aligarh	34646	26996	7650
Jhansi	31589	19124	12465
Kanpur I	21667	21443	224
Kanpur II	25014	24891	123
Lucknow I	33512	33458	54
Lucknow II	32705	32691	14
Moradabad	40571	39363	1208
Gautambudha Nagar	23180	20163	3017
Saharanpur	28820	26954	1866
Meerut	23610	18909	4701
Varanasi I	29117	28975	142
Varanasi II	49260	41643	7617
Ghaziabad I	24501	23274	1227
Ghaziabad II	19785	18735	1050
Etawah	32831	22920	9911
Faizabad	46067	39515	6552
Head Office	7	0	7
Total	**634963**	**564878**	**70085**

क्रमश 2 पर

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अभी तक वर्ष 2013-2014 के 700085 व्यापारियों की टर्न ओवर मार्किंग नहीं की गयी है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है वर्ष 2013-2014 की टर्न ओवर मार्किग का कार्य बिलम्बतम दिंनाक 23-06-2016 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। जिन जोन/ संभाग में यह कार्य दिंनाक 23-06-2016 तक पूर्ण नहीं किया जायेगा उन जोन के एडीशनल कमिश्नर / संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। यहॉ यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि यह मार्किग ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) तथा खंड/ मंडल के डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी तीनों स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी है। मार्किग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किग की तिथि आगे नहीं बढायी जायेगी एवं जिस स्तर के अधिकारी द्वारा मार्किग नहीं की जायेगी उसका उत्तरदायी निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

यह पत्र कमिश्नर महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।